

F.N.RCT/3007052016

न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.){पीठासीन अधिकारी—अमनदीपसिंह छाबड़ा}आप.प्रक.क—/300521/2016फा. नंबर RCT/3007052016संस्थित दिनांक—15/07/2016

मध्यप्रदेश शासन द्वारा

आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) .....अभियोगी

**विरुद्ध**

रामसिंह पिता मेलहन मरकाम,

उम्र 35 साल, जाति बैगा, निवासी कुमनगांव (आश्रमटोला)

थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) .....आरोपी

-----

**:: निर्णय ::—****(आज 11.10.2017 को घोषित)**

(01) आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 452, 323 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.06.2016 को समय सुबह 09:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत कुमनगांव में प्रार्थिया सोमबती को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित किया, प्रार्थिया को उपहति हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, प्रार्थिया /आहत सोमबती को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया एवं प्रार्थिया को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2016 को सुबह करीब 09:00 बजे आरोपी रामसिंग ने अपने पड़ौसी सोमबतीबाई से झगड़ा कर विवाद किया था कि वह उसके मोहल्ले में क्यों दार बनाई है, कहीं और भाग जा, इस बात को लेकर आरोपी ने उसे माँ—बहन की गंदी—गंदी गाली देकर घर में घुसकर लाठी से सिर, हाथ में मारपीट किया व जान से मारने की धमकी दिया। विवेचना के दौरान आरोपी रामसिंग को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरुद्ध चालान क्र.57/16 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 452, 323, 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सोमबती ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506(भाग—2)

F.N.RCT/3007052016

के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

(04) प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मात्र धारा-452 भा.द.वि. का विचारण शेष है।

(05) आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 30.06.2016 को समय सुबह 09:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुमनगांव में प्रार्थी सोमबती को उपहति हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) फरियादी/आहत सोमबती (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब छः-सात माह पूर्व सुबह करीब आठ बजे ग्राम कुमनगांव की है। घटना के समय आरोपी से उसका वाद-विवाद हुआ था। उनका वाद-विवाद उसके घर के सामने मेन रोड़ के पास हुआ था। बाद में अन्य परिवारवालों ने आकर समझाईश दी। इसके बाद वह दोनों अपने-अपने घर चले गये। उसने घटना की कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को किसी प्रकार के बयान दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि वह घटना की दिनांक नहीं बता सकती कि घटना दिनांक 30.06.16 की है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय उसका पड़ौसी आरोपी रामसिंह उसके घर में घुसकर माँ-बहन की गालियां देते हुए उसे हाथ में रखी लाठी से मारा था और कहा था कि जान से खत्म कर देगा। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी01 पुलिस को न देना व्यक्त किया, उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-02 पर उसका अंगूठा निशानी है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

(07) फरियादी/आहत सोमबती(अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसका रिश्ते में भाई लगता है, उसका आरोपी के साथ पारिवारिक वाद-विवाद हुआ था, आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार की गाली-गलौच तथा मारपीट नहीं की थी, वर्तमान में उसके आरोपी के साथ अच्छे संबंध है, आरोपी ने उसे किसी प्रकार की धमकी नहीं दी थी। इस प्रकार प्रकरण में सोमबती(अ.सा.01) ने आरोपी द्वारा उसको उपहति हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने संबंधी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं की है। प्रकरण की फरियादी/आहत ने स्वयं विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

(08) इस प्रकार निर्णय की पूर्वगामी विवेचना के आधार पर प्रकरण की फरियादिया सोमबती(अ.सा.01) ने अपने कथन में विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन के महत्वपूर्ण तथ्यों का खंडन किया है। फरियादिया सोमबती (अ.सा.01) ने स्वयं इन तथ्यों का खंडन किया है कि आरोपी द्वारा

F.N.RCT/3007052016

उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, जिससे अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी संदेहास्पद हो जाती है। आरोपी को आरोपित अपराध से संलग्न किए जाने के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपना वृत्तांत युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। फलतः आरोपी रामसिंह को धारा-452 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(09) प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट किया जावे।

(10) आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

(11) प्रकरण में आरोपी दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 04.07.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर,

मेरे बोलने पर टंकित

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

किया गया।

सही /—

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बैहर, जिला बालाघाट

बैहर, जिला बालाघाट